मरते मर जाऊंगी, थाना-कचहरी नहीं जाऊंगी

ग्राउंड जीरो से विवेक की विशेष रिपोर्ट

अब तो चाहे मेरा बलात्कार हो या कुछ भी पर मैं अब कभी भी कोर्ट और पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। ये कहना था जेएनयू में भाषा संकाय की छात्रा दीपा (बदला हुआ नाम) का। किसी पीड़ित का ऐसा हताशा भरा कथन अपराध-न्याय व्यवस्था पर तमाचे से कम नहीं, बेशक दीपा से डेढ़ वर्ष पूर्व हुये अपराध के दोषियों को हाल में फरीदाबाद की अदालत से सजा मिल चुकी हो।

14 अगस्त 2017 के दिन दीपा अपने 6 साथियों के साथ दिल्ली के आस-पास की वाटर बॉडीज देखने का प्लान बनाती हैं। सबसे पहले तय हुआ कि फरीदाबाद के अनंगपुर गाँव में स्थित झीलों को देखा जाए। इसी क्रम में दीपा और अन्य साथी एक मोटरसाइकिल और कैब से अनंगपुर शाम 6 बजे पहुँच गए। कुछ वक्त गाँव से सटी झीलों को देखने के बाद वापस जेएनयू जाने के लिए उन्होंने एक कैब बुक की और मुख्य सड़क की दिशा में आने लगे।

दीपा और दो साथी मोटरसाइकिल पर आगे जा रहे थे और चार अन्य साथी कुछ फासले पर पीछे पैदल ही आ रहे थे। अचानक एक अधेड़ उम्र के स्थानीय व्यक्ति ने लाठी से मोटरसाइकिल का रास्ता रोक कर धमकाया कि यहाँ क्या करने आये हो? रात के 9 बज चुके थे, डरते हुए इन बच्चों ने बताया कि बस घूमने आये थे। इतने में कुछ अन्य युवक जो नशे में थे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बुलाने पर वहां पहुँच गए और दीपा का चरित्र हनन करते हुए तीनों को मारने लगे।

इस बीच जो चार साथी पीछे आ रहे थे उन्होंने दूर से ये नजारा देखा और डर कर भाग लिए। क्योंकि उन चार लोगों में एक लड़के के बाल बड़े-बड़े थे तो इन बदमाशों को वहम हुआ कि शायद एक और लड़की है साथ। अब इनकी जिज्ञासा इसमें जाग गई कि कैसे वो लड़की भी पकड़ में आ जाए।

शराब पीये अन्य लड़कों ने दीपा से उसके साथियों के साथ क्या सम्बन्ध हैं, इस की आड़ में पूछताछ करना शुरू कर दिया। दीपा ने भारतीय संस्कृति के सबसे अचूक हथियार कि मेरा भाई है, का भी प्रयोग किया पर शराबियों को इससे क्या मतलब। उन्होंने तो अपनी समझ के मुताबिक ये मान लिया था कि क्योंकि लड़की लड़कों के साथ आई है तो अब समस्त मर्द जाति का उसपर अधिकार स्थापित हो चुका है।

झन्नाटेदार थप्पड़ के साथ ही दीपा को बालों से घसीटते हुए बदमाशों का गिरोह पास ही एक टूटी-फूटी झोपड़ी में ले गया जहां उनके मुंह से अपने दोस्तों की हत्या और खुद का बलात्कार किये जाने जैसे इरादे सुन दीपा को जान पड़ा कि अब ये शायद उसके जीवन का अंतिम पल है।

इस बीच जो चार दोस्त भाग चुके थे उनको कैब ड्राइवर का फोन आने पर उन्होंने जब ड्राइवर से सारा हाल बताया तो ड्राइवर भी बुकिंग कैंसिल करके भाग गया। दूसरी कैब बुक कर उसके ड्राइवर को सारा हाल बताने पर ड्राइवर ने आस-पास के इलाके के कुछ दुकानदारों को सूचित किया। आनन-फानन में उनमें से कुछ मौके पर पहुचे तो पाया कि एक लड़की को कुछ लोगो ने पकड़ रखा है। स्थानीय दुकानदारों ने मवालियों से लड़की को जाने देने की याचिका की। पर शराब के नशे में धुत इन बदमाशों के हौंसले इतने बुलंद थे कि सबके सामने भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए।

पुलिस थाना और अदालत भी पीड़ित का अपमान ही करते रहे!

दीपा के अपराधियों में से कुछ को तीन-तीन साल की सजा मिल गई। पर क्या सच में तमाम तरह शामिल अपराधियों को कभी सजा मिल सकेगी? दिल्ली में आने के बाद से ही दीपा वसंत विहार के एक जिम में योगा इंस्ट्रक्टर थी। अपने केस के सिलसिले में बार-बार की गैरहाजिरी ने उसके इस पार्ट टाइम काम को उससे छीन लिया। पारिवारिक पृष्ठभूमि से आर्थिक कमजोरी और ऊपर से मानसिक ट्रामा ने पढाई पर भी असर डाला। समाज की प्रताड़ना और दुराग्रहों से रोज दो-चार होने बाद भी यदि सिर्फ चार प्राथमिक दोषियों को ही सजा हुई तो क्या ये सच में न्याय कहलाएगा? अपराध हो जाने के बाद के दोषी तो आज भी सफेदपोश ही हैं। प्रथम दृष्ट्या लगता है कि चलो देर से सही पर सजा मिली। पर इस पूरे प्रकरण में जो अपराध न्यायपालिका और पुलिस की कार्यवाही के दौरान किया गया उसपर तो किसी मंच पर चर्चा तक नहीं हुई ।

दीपा ने बताया कि जिस सूरजकुंड के पुलिस अधिकारी ने उसके साथ सिपाहियों समेत बलात्कार करने की धमकी दी थी उसने एक सीनियर पुलिस अधिकारी के समक्ष दीपा के बयान से पहले ही दीपा को धमकाकर उससे एक पेपर पर यह लिखवा कर हस्ताक्षर करवा लिए कि पुलिस ने उसकी मदद की और इस दौरान पुलिस का व्यवहार मित्रतापूर्ण रहा। हस्ताक्षर कर देने के बाद इसी पुलिस वाले ने कुटिल मुस्कान के साथ दीपा को कहा था कि "याद है न मैं कौन हूँ?"

कुख्यात निर्भया काण्ड पर एक ऑनलाइन सीरीज जारी होने पर दिल्ली पुलिस कि डीसीपी ऋचा शर्मा को हीरो की तरह पेश किया गया है। क्या सच में दिल्ली पुलिस में हीरो दिखने का माद्दा है? क्यों नहीं वसंतकुंज थाने की पुलिस ने सूरजकुंड पुलिस पर भी मुकदमा दायर किया?

दीपा के वे सारे मित्र जो मित्रता के नाम पर कलंक सिद्ध हुए, ने दीपा का साथ क्यों नहीं दिया? दीपा को उचित काउन्सिलिंग सुविधा नहीं मिली और न ही उसका साथ देने कोई टीचर या सहपाठी अदालत में आता रहा। क्यों नहीं प्रगतिशीलता का दंभ भरने वाला जेएनयू अपनों के इस रवैय्ये के खिलाफ भी सड़कों पर उतरा बदमाशों से डरने की माफी तो हो सकती है पर क्या पीड़ित को डराने की माफी भी मिलनी चाहिए?

सबसे लड़ते हुए जब सिर्फ 19 साल की एक बच्ची न्यायालय की शरण में पहुंची तो एक संवेदनहीन जज उसे धमकाता है कि रोई तो चरित्रहीन कहूँगा। क्या ऐसे में न्याय की उम्मीद की जा सकती है?

दीपा के देर शाम के बाद 6 लड़कों के साथ जाने भर से खुद को प्रगतीशील समझने वाले दोस्तों ने भी ये मान लिया कि इसमें गलती उसी की है। जिस स्मार्ट सिटी और विश्व गुरु का चोला ओढने की भरपूर कोशिश भाजपा सरकार ने प्रचारित की हुई है, उनसे कोई नहीं पूछता कि स्मार्ट सिटी में पुलिस कैसी होगी, न्याय व्यवस्था का क्या हाल रहेगा? खोखले वादों के साथ एक बार फिर चुनाव शुरू हो चुके हैं और असल मुद्दे फिरसे दफन हो गए हैं।

इसी बीच दीपा और उसके दोस्तों ने मौका पा कर भागने की नाकाम कोशिश की। बदमाशों ने फिर से सबके सामने ही इन्हें लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। पर मोटरसाइकिल पर किनारे खड़े एक अन्य लड़के ने ज्योति को इशारा किया कि वो भाग कर आ जाए। जाहिर है पहले दीपा को उसपर भी शक हुआ कि न जाने कौन होगा। पर लड़के पर विश्वास करने के अलावा अन्य कोई चारा बचा नहीं था सो दीपा ने एक और कोशिश की और इस बार मोटरसाइकिल पर बैठने में सफलता मिल गई और वो उसे वहां से निकाल ले गया।

पास के बाजार में दीपा को छोड़ने के कुछ देर बाद पीछे बचे दो अन्य साथी भी इसी जगह पहुंचे और उन्होंने दिल्ली का रुख किया। बॉर्डर पर खड़ा दिल्ली पुलिस के सिपाहियों से सारी व्यथा कहने के बाद सिपाहियों ने इन्हें सूरजकुंड थाने में, जो फरीदाबाद में है, शिकायत दर्ज कराने की सलाह दे कर भेज दिया।

सूरजकुंड थाने पहुँचने पर दीपा ने पाया कि उसके अन्य चार दोस्त जो भाग चुके थे वहां पहले से खड़े थे। थाने के पुलिस अधिकारी ने देखा कि एक लड़की के साथ 6 लड़के हैं, तो उसने अपनी घटिया सोच का नायाब नमूना पेश करते हुए दीपा के चरित्र की रूपरेखा खींच डाली। दीपा ने बताया कि पुलिस अधिकारी ने डांटते हुए कहा कि "ये जो अंग्रेजी सेक्स का फैशन चला रखा है न तूने अभी निकाल दूंगा और ज्यादा है तो चढ़ा दूं सारे सिपाही तेरे ऊपर?"

पुलिस का ये रूप दीपा की रूह तक कंपा गया। दीपा ने बताया कि उसे यकीन है कि सूरजकुंड पुलिस वाले उस वक्त कस्टोडीयल रेप करने की फिराक में थे। जैसे तैसे सभी वहां से जान छुड़ा कर जेएनयू कैंपस आ गए। कैंपस के दोस्तों और स्टूडेंट यूनियन के लोगों से अपनी बात कहने पर कुछ दिन तो लोगों ने हो-हल्ला किया पर जल्दी ही मामला शांत हो गया। दीपा ने ठाना कि मामले को ऐसे नहीं जाने देगी और दिल्ली वसंत कुञ्ज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी।

यहाँ से कहानी के पात्रों ने अपने नए चरित्र से दीपा का परिचय कराया। जिन दोस्तों के साथ वो घुमाने गई थी उन्होंने डर से अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं जिस जेएनयू को प्रगतिशील होने का अड्डा माने बैठे हैं उसमे पढने वाले सहपाठियों और साथियों ने माना कि जिन लड़कों के साथ वो गई थी वो गांजा पीते हैं और ये ठीक नहीं है, यानी गलती तो दीपा की है।

पुलिस और समाज का ऐसा चित्रण भारत में आम बात है और गाहे-बगाहे किसी भी फिल्म में ये दृश्य देखे जा सकते हैं। पर क्या किसी भी नाटक या फिल्म में आपने ये देखा है जहाँ न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति भी पीड़िता को चरित्रहीन तक बुलाने की जुर्रत करता हो? जी हां, दीपा ने बताया कि कोर्ट रूम में अपनी हालत पर उसके आंसू निकल जाने पर जज ने कहा कि अगर एक और बार तूने आंसू गिराए तो मैं तुझे कैरक्टरलैस कह कर बुलाऊंगा। ये सुन कर दीपा अवाक रह गई।

दीपा के अनुसार इस समूचे न्यायिक प्रकरण में एक भी महिला कर्मी से उसका वास्ता नहीं पड़ा। घटना से लेकर न्यायपालिका तक सिर्फ मर्द ही मर्द मिले। जिस कोर्ट रूम में 19 साल की लड़की अकेले जाती थी वहां आरोपियों की तरफ से पूरी जमात शामिल होती थी। सामने ही आरोपी दीपा को देख कर कुटिल हंसी हँसते रहते थे और अपराधबोध का कोई नामोनीशान तक नहीं होता था उनके चेहरे पर। डिफेन्स लायर की नजरें सवाल करते वक्त दीपा की आँख पर कम और यहाँ वहाँ उसके शरीर पर ज्यादा रहती थी। इस तरह पूरा माहौल दीपा को असुरक्षा का बोध कराता रहता था।

पूरे न्यायिक प्रकरण के दौरान दीपा को हर रोज लगता रहा कि न जाने कब ये लोग उसकी हत्या कर दें। एक भी दोस्त दीपा के साथ कोर्टरूम तक नहीं गया और परिवार के सदस्यों को न बताने का कारण एक तो ये रहा कि उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े इलाके में रहने वाले उसके मां-बाप सिवा डरने और चिंताग्रस्त होने के ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। अकेले एक लम्बे वक्त तक जेएनयू से फरीदाबाद जाना और पुलिस व अदालत के हाथों नयी जलालातों से गुजरने के बाद दीपा की हिम्मत ने जवाब दे दिया और उसने कोर्ट जाना भी छोड़ दिया। दोषियों को तीन साल की सजा लोवर कोर्ट से हो गई है, ये सूचना भी दीपा को 'मजदूर मोर्चा' से बात करने के बाद मिली।

तो ये आलम है उस भारत देश का जहां निर्भया काण्ड पर मोमबत्तियां लिए सारा समाज सड़क पर था। सरकार ने निर्भया फण्ड तक बना डाला जिसकी फूटी कौड़ियाँ तक अपराधी नुमा नेता बने मंत्रियों से खर्च नहीं हो सकी हैं। सर्वोच्च न्यापालिका के चार जजों ने लोकतंत्र के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की। पर दीपा जैसी लड़कियां मजबूर हैं सड़क पर होने वाले उस हर अपराध को सहने के लिए जिसके दर्द भरे तार पुलिस थानों और अदालतों तक बजते रहते हैं।

करनाल आईटीआई छात्र की मौत के बाद पुलिस ने आंदोलनरत छात्रों के तोड़े हाथ-पैर, प्रिंसिपल को भी पीटा

करनाल । बस के नीचे आने से साथी छात्र की हुई मौत के बाद आक्रोशित करनाल आईटीआई के छात्रों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग भी की, साथ अध्यापकों और प्रिंसिपल को भी आईटीआई कैंपस में घुसकर बुरी तरह पीटा।

11 अप्रैल को करनाल में आईटीआई के एक छात्र की हरियाणा रोडवेज की बस के नीचे आ जाने से मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित आंदोलनरत छात्रों ने आईटीआई चौक पर 12 अप्रैल को कहते हुए नेशनल हाइवे जाम कर दिया कि उनके साथी छात्र की मौत ड्राइवर की लापरवाही से हुई है।

छात्र की हादसे में मौत के बाद आंदोलनरत छात्रों से पुलिस की झड़प भी हुई। मीडिया में आ रही जानकारी के मुताबिक छात्र—पुलिसिया झड़प के दौरान दर्जनभर पुलिसकर्मी और घटना को कवर कर रहे 2-3 मीडियाकर्मियों समेत दर्जनों छात्र इस घटना

में घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सौ से भी ज्यादा छात्रों व आईटीआई कर्मचारियों को हिरासत में लिया है।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहले आंदोलनरत छात्रों ने पुलिस को दौड़ाया और उसके बाद पुलिसवालों ने विरोध कर रहे छात्रों को पीटा। आईटीआई के कुछ कर्मचारियों और प्रिंसिपल को भी पुलिस द्वारा पीटे जाने की बात सामने आ रही है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पुलिस ने अभी आईटीआई के कई कर्मचारियों और छात्रों को अपनी हिरासत में रखा हुआ है।

दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के मुताबिक पुलिस ने कक्षाओं में बैठी छात्राओं पर भी लाठीचार्ज किया, जिस कारण कुछ छात्राएं पेपर नहीं दे पाईं। वे पुलिसवालों के सामने रहम की भीख मांगती रहीं, मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। किसी तरह कक्षा से बाहर पहुंची छात्रों ने वहां मौजूद लोगों से प्रार्थना की कि अंकल हमें पुलिस से बचा लो, ये लोग हमें जान से मार देंगे। किसी तरह बस अड्डे तक छुड़वा दीजिए।

इस घटना पर आईटीआई के प्रिंसिपल बलवान ने मीडिया को बताया कि, पुलिस के सामने जो पड़ा, उसी पर लाठियां भाजनी शुरू कर दीं। कक्षाओं में शांति से बैठी छात्राओं और स्टाफ रूप में बैठे कर्मचारियों तक को नहीं बख्शा गया। पुलिस सीसीटीवी के सबूत मिटाने के लिए डीवीआर भी चुराकर ले गई है। घटनाक्रम के मुताबिक 11 अप्रैल को करनाल में आईटीआई के छात्र निकित की बस के नीचे आ जाने से मौत हो गई थी। करनाल के रिंडल के राकेश कुमार का बेटा निकित आईटीआई का छात्र था, जिसकी बस के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि अंकित की मौत चलती बस में लटकने के कारण हुई, मगर मृतक छात्र निकित के साथी छात्रों का कहना था कि उनके दोस्त की मौत बस ड्राइवर की लापरवाही से गई थी। **शेष पेज दो पर**

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06